न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

क्रमांक– 2501 दिनांक– 20.08.2026

संशोधित आदेश

अलवर न्याय क्षेत्र (मुख्यालय में स्थित न्यायालयों) में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर के आदेश क्रमांक–22957 दिनांक–19.08.2026 के निर्देशानुसार धारा **183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023** के कथन लेखबद्ध करने के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व के **आदेशों को अतिलंघित** करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न संशोधित आदेश जारी किया जाता है–

अन्वेषण अधिकारी/थानाधिकारी द्वारा बयान अंतर्गत धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत लेखबद्ध कराये जाने वांछित हो और उनके द्वारा इस आशय का प्रार्थना–पत्र पेश किया जावे, तो उस थाने के धारा–183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत बयान कराने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का निम्नानुसार पीठासीन अधिकारी द्वारा निस्तारण किया जावेंगा ।

क्र0सं0	थाना/ क्षेत्राधिकार न्यायालय	बयान धारा–183 बी एन एस एस के तहत.लिये जाने वाले न्यायालय का नाम	कॉलम संख्या–3 के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने/मुख्यालय से बाहर होने पर	कॉलम संख्या–4 के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने/मुख्यालय से बाहर होने पर	कॉलम संख्या–5 के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने/मुख्यालय से बाहर होने पर
01	02	03	04	05	06
01	Kotwali C.J.M. Court	ACJ & JM-1	ACJ & JM-2	ACJ & JM-3	ACJ & JM-4
02	Akhepura C.J.M. Court	ACJ & JM-2	ACJ & JM-3	ACJ & JM-4	ACJ & JM-5
03	Vijay Mandir ACJM-1 Court	ACJ & JM-3	ACJ & JM-4	ACJ & JM-5	ACJ & JM-6
04	Neb ACJM-2 Court	ACJ & JM-4	ACJ & JM-5	ACJ & JM-6	N.I.Act-3
05	Arawali Vihar ACJM-3 Court	N.I.Act-3	N.I.Act-2	N.I.Act-1	C.J.& J.M.-1
06	Vashali Nagar ACJM-4 Court	N.I.Act-2	N.I.Act-1	C.J.& J.M.-2	C.J.& J.M.-1

20/08/2026

डॉ0 नेहा गोयल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

07	M.I.A. ACJM-5 Court	N.I.Act-1	N.I.Act-2	N.I.Act-3	A.C.J.& J.M.-6
08	Sadar ACJ & JM-1	C.J.& J.M.-2	A.C.J.M.-5	A.C.J.M.-4	A.C.J.M.-3
09	Shivaji Park ACJ & JM-3	C.J.& J.M.-1	A.C.J.M.-3	A.C.J.M.-2	A.C.J.M.-1
10	Mahila Thana ACJ & JM-4	A.C.J.M.-4	A.C.J.M.-2	A.C.J.M.-3	A.C.J.M.-1
11	Bagar Tiraya CJ & JM-2	A.C.J.M.-1	A.C.J.M.-3	A.C.J.M.-2	A.C.J.M.-4
12	Akabarpur CJ & JM-2/ Malakhera (C.J. & J.M.-2 में अकबरपुर थाने के आने वाले गांव)	A.C.J.M.-3	ACJ & JM-4	ACJ & JM-3	ACJ & JM-2

कॉलम संख्या–3 लगायत 6 तक के समस्त पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने एवं मुख्यालय से बाहर होने पर कॉलम संख्या–6 के लिंक अधिकारीगण द्वारा धारा–183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत बयान लेखबद्व किये जावेंगे।

कॉलम नम्बर 3 से 6 में पुरूष पीठासीन अधिकारी होने पर उससे अगला कॉलम जिसमें महिला पीठासीन अधिकारी हो उनके द्वारा धारा–183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत बयान लेखबद्व किये जावेंगे।

नोट–

01. किसी प्रकरण में माल अथवा मुलजिम की शिनाख्तगी की कार्यवाही नये संशोधित प्रावधानानुसार की जावेगी।

02. माननीय उच्चतम न्यायालय के एस.एल.पी.(क्रिमिनल) नम्बर 5073/11 स्टेट आफॅ कर्नाटक बनाम शिवान्ना में पारित ओदश के निर्देशानुसार एवं प्रकिया की सुगमता के तहत धारा–183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में लेखबद्व कथन अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश करने पर, ऐसे कथनों की प्रति अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस आशय का घोषणा–पत्र पेश करने पर कि वह उक्त बयान में दर्ज कथन को किसी पर जाहिर नहीं करेंगे, तुरन्त अनुसंधान अधिकारी को लेखबद्व बयान की प्रति न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपलब्ध करवायी जावेगी।

20/08/2024

डॉ० नेहा गोयल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

03 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक 02 / एस.आर.ओ. / 2024 दिनांक 24.01.2024 के अनुसार बयान लिये जावेंगे।

04. यदि विशेष परिस्थितियों में उपरोक्त व्यवस्थानुसार कार्य करना सम्भव न हो तो इसके सम्बन्ध में पृथक से प्रार्थना–पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

05. इस आदेश से पूर्व थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण पूर्व आदेश के अनुसार ही निस्तारित किये जायेंगे।

06. उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

20/08/2026

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डॉ० नेहा गोयल
अलवर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

क्रमांक–2501–2506 दिनांक– 20/08/26

प्रतिलिपि सूचनार्थ निम्न को सादर प्रेषित है–

01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर
02. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर
03. समस्त पीठासीन अधिकारी..........................
04. समस्त थानाधिकारी,................................
05. कम्प्यूटर शाखा, अलवर (उक्त आदेशको साईट पर अपलोड करे)
06. कार्यालय प्रति / अध्यक्ष, बार एसोसियेशन अलवर

20/08/2026

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डॉ० नेहा गोयल
अलवर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर